न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 78/2012

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
सोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)	1.	मृतक पोकरराम पुत्र हरजी के कायम मुकामः—
	1/1	रूपाराम
	1/2	मदललाल पी0 पोकरराम जाति माली निवासी बेरा कानावा सोजतसिटी।
	1/3	नारायणदेवी पुत्री पोकरराम पत्नि जीताजी निवासी बेरा अवकाई सोजत हाल सुरसागर जोधपुर
	1/4	ढगलाई पुत्री पोकरराम पत्नि स्व0 राजाराम निवासी बेरा गोरवा, जैतारणिया गेट के बाहर, सोजतसिटी।
	1/5	सुखीदेवी पुत्री पोकरराम पत्नि हडमान निवासी बेरा गोरवा, जैतारणिया गेट के बाहर, सोजतसिटी।
	1/6	जेठी देवी पुत्री पोकरराम पत्नि ढगलाराम निवासी बेरा गोरवा, जैतारणिया गेट के बाहर, सोजतसिटी।
	1/7	रतनाई देवी पुत्री पोकरराम पत्नि रामचन्द्र निवासी मोतीचंद सेठीया आदर्श विधा मन्दिर स्कूल के पास, सोजतसिटी।
	2.	मृतक मोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजतसिटी के का0मु0ः—
	2/1	माणकचंद पुत्र मोहनलाल
	2/2	ताराचंद पुत्र मोहनलाल
	2/3	मैनादेवी पुत्री मोहनलाल
	2/4	रतनाई देवी पत्नि मोहनलाल तमाम जातियान—माली,निवासीगण—सोजतसिटी तहसील सोजत।
	3	मृतक किस्तूरराम पुत्र धूलाराम के का0मु0ः—
	3/1	मोहनलाल
	3/2	खींवराज पि0 किस्तूरराम जाति माली निवासीगण सोजतसिटी तहसील सोजत।
	4	मृतक पुखाराम पुत्र धूलाराम के का0मु0 :—
	4/1	भंवरलाल
	4/2	सोहनलाल पि0 पुखाराम जातिगण माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

जिला पाली राज0।

5. मृतक नेनाराम पुत्र मगनाराम के का0मु0 :–

5/1. भोलाराम पुत्र नेनाराम जाति माली निवासी बेरा कानावा, सोजतसिटी।

6. जसाराम

7. घीसाराम पी0 बोहरराम जातिगण माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0।

8. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री गजेन्द्र दवे एवं श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी स्वयं उपस्थित।
2. श्री सोहनलाल गौराणा एवं श्री भगवती प्रसाद चौहान अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण 1/1, 1/2, 2/1 व 2/2 स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक– 16.07.2018

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में कृषि भूमि ख0नं0 5271 रकबा 0.0600 है0, ,ख0नं0 5272 रकबा 0.0500 है0, ख0नं0 5277 रकबा 0.0800 है0 ख0नं0 5278 रकबा 0.2100 है0, ख0नं0 5296 रकबा 0.2700 है0, ख0नं0 5300 रकबा 0.0700 है0, ख0नं0 5304 रकबा 0.0800 है0, ख0नं0 5309 रकबा 0.0300 है0, ख0नं0 5311 रकबा 0.0600 है0 कुल किता 09 रकबा 0.9100 है0 किस्म चा0प्र0, जा0अ0, बंजड़ व मेहन्दी स्थित है। उपरोक्त आराजीयात में वादी का 1/4 हिस्सा हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त का है। ख0नं0 5284 रकबा 0.0500 गैरमुमकिन रास्ता, ख0नं0 5286 रकबा 0.0300 गै0मु0बेरा, ख0नं0 5287 रास्ता 0.0500 गै0मु0सड़ा एवं ख0नं0 5321 रकबा 0.2500 गै0मु0 आबादी कुल किता 04 रकबा 0.3800 है0 गैर मुमकिन आबादी रास्ता बेरा व सड़ा की स्थित है। उक्त आराजीयात में वादी का 1/16 हिस्सा हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त का है। उक्त वर्णित खसरान की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। जिसमे भाग (ए) में वर्णित कृषि भूमि में वादी सोहनलाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तथा भाग बी में वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/16 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है। शेष प्रतिवादी सह खातेदार होने से तथा प्रतिवादी संख्या 9 भूमिधारक तहसीलदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण वादी के साथ हमेशा टण्टा फसाद करते रहते है तथा आपस में पक्षकारन के मध्य कई फौजदारी प्रकरण भी विचाराधीन है। प्रतिवादी सं0 1 बदमाश प्रवृति का है, जो वादी को वादग्रस्त भूमि के अपने हिस्से का उपयोग करने में रूकावट डालते है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु सहमत नही है। वादी द्वारा निरन्तर वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउडस तथा पक्षकारान की सुविधा के अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु कहा। लेकिन प्रतिवादीगण उक्त बंटवाडा करवाने हेतु सहमत नही हुए। वादी वादग्रस्त कृषि भूमि का मौके पर भौतिक बंटवाडा करवाकर अपने हिस्से की भूमि को अलग करवाना चाहता है। जिससे वादी शांतिपूर्वक अपने हिस्से की भूमि का उपयोग/उपभोग कर सके एवं प्रतिवादीगण आयन्दा वादी के हिस्से की कृषि भूमि के अन्दर किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नही कर सके।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

...जी को अपने हिस्से की कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउडस करवाने का ...नूनी अधिकार प्राप्त है। अतः यह वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बावत् वादग्रस्त भूमि के ...तेदार अधिकारो का बंटवाडा का पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण की ...युक्त खातेदारी कृषि भूमि है। जिस कृषि भूमि में सभी खातेदारो का प्रत्येक इन्च की भूमि ...र सभी खातेदारो का कब्जा काश्त है। प्रति0सं0 1 रूपाराम जो बदमाश प्रवृति का व्यक्ति ...है। जो वादी तथा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि होते हुये जानबुझकर ...खातेदारो की बिना सहमति तथा बिना निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये एवं विवादग्रस्त कृषि भूमि ...का बिना विधिक बंटवाडा करवाये विधि विरूद्ध रूप से ख0नं0 5272 पर नीवें खोदकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया। जिस पर वादी द्वारा उक्त निर्माण कार्य करने से मना किया तथा कहा कि उपरोक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवा दो। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बंटवाडा करवाने से इन्कार कर दिया तथा प्रति0 सं0 1 रूपाराम द्वारा ताबडतोड तरीके से निमार्ण कार्य प्रारम्भ रखा। तब वादी द्वारा प्रार्थना पत्र तहसीलदार सोजत को दिनाक 14.06.2011 को प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा पटवारी हल्का चक प्रथम को ख0नं0 5272 को मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान किये। जिस पर पटवारी हल्का सोजत चक प्रथम के पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की तथा प्रति0सं0 1 को ख0नं0 5272 रकबा 0.0500 है0 कृषि भूमि पर निमार्ण कार्य नही करने हेतु पावन्द किये गये। तब प्रति0 सं0 01 द्वारा कुछ समय तक कार्य बन्द रखा। प्रति0 सं0 1 द्वारा मौके का नाजायज फायदा उठाते हुये वादी जब अपने पुत्र की बारात लेकर पठानकोट गया हुआ था तब प्रति0 सं0 01 द्वारा पुनः ख0नं0 5272 ने विधि विरूद्ध तरीके से संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में दि0 15.04.2012 को निर्माण कार्य करना प्रारम्भ कर दिया, जो प्रतिवादी सं0 1 द्वारा तहसीलदार सोजत द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना करते हुये एवं कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि के रूप में उपयोग कर रहा है। जब वादी दि0 18.04.2012 को पठानकोट से वापस आया तब प्रति0 सं0 1 द्वारा किये जा रहे विधि विरूद्ध निर्माण कार्य की जानकारी हुई तब वादी द्वारा प्रति0 सं0 1 को उक्त निर्माण कार्य करने से मना किया लेकिन प्रति0सं0 1 नही माना एवं निमार्ण कार्य प्रारम्भ रखा। तब वादी द्वारा दिनांक 03.05.2012 को पुनः तहसीलदार सोजत द्वारा ख0 न0 5272 में किये जा रहे विधि विरूद्ध निर्माण कार्य को रोकने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा पुनः किये जा रहे निर्माण कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा रूपाराम को उक्त निर्माण न करने हेतु पाबंद किया गया। लेकिन प्रति0 सं0 01 को उक्त निर्माण कार्य को न रोक कर निमार्ण कार्य को चालू रखा है। वादी द्वारा दिनांक 08.05.2012 को निर्माण कार्य रोकने हेतु कहां तथा तमाम प्रतिवादीगण से वादी ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु कहा, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा वादगस्त कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने से साफ इन्कार कर दिया। प्रति0 सं0 01 द्वारा एलानिया धमकी दी कि उक्त कृषि भूमि का बिना बंटवाडा करवाये निमार्ण कार्य करके रहूंगा। प्रति0 सं0 01 द्वारा ख0नं0 5272 में निमार्ण कार्य कर रहा है। जिससे प्रति0 सं0 01 को निमार्ण कार्य करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है, जिसे जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना कानूनी आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रतिवादीगण उपरोक्त ख0नं0 की भूमि पर विधिक बंटवाडे से पूर्व वादी के कब्जा काश्त उपयोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे एवं किसी भी भू भाग पर विधिक बंटवाडे से पूर्व प्रतिवादीगण किसी प्रकार निमार्ण इत्यादि नही करे। इस हेतु वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा व खातेदारी अधिकारो का बंटवाडा कर धारा 53 व 188 राज0का0अधि0 का पेश किया है। विनायदावा दिनांक 08.05.2012 वादी द्वारा प्रतिवादीगण आपसी सहमति से विधिक बंटवाडा करवाने हेतु कहा, तब प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा करने से साफ इन्कार किया तथा प्रवितादीगण संख्या 1 द्वारा ख0नं0 5272 में विधि विरूद्ध रूप से तथा बिना विधिक बंटवाड़ा करवाने निर्माण कार्य रोके जाने हेतु कहा। लेकिन प्रतिवादीगण वादी को विधिक बंटवाडा करने से साफ इन्कार कर दिया, जिससे यह ...द कारण बमुकाम सोजत पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद पेश किया है। वादग्रस्त आराजीयात

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

पक्षकारान की सकुनत सोजत सिटी तहसील सोजत में स्थित होने से यह वाद हाजा न्यायालय के श्रवणाधिकर व क्षेत्राधिकार का है। वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का होने से वगर्ज कोर्ट फीस रूपये 2/— का पेश किया है। इस पर अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मय शपथ–पत्र एवं नजरी नक्शा पेश कर मौजा सोजत चक प्रथम मे स्थित उक्त खसरा नंबरान जो वाद के पद संख्या 1 में भाग (ए. वी) में वर्णितानुसार कृषि भूमि का विधिक वंटवाडा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाई मिटस एण्ड वाउण्डस किया जाकर पद संख्या 1 में भाग ए में वर्णित कृषि भूमि का वंटवाड़ा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के मध्य वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर वादी का 1/4 हिस्सा अलग किया जावे एवं भाग वी में वर्णित कृषि भूमि का वंटवाडा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाई मिट्स एण्ड वाउण्डस किया जाकर वादी का 1/16 हिस्सा अलग किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड मे अलग से घोषित किया जाकर एवं नक्शा ट्रेस में इसका अलग से तरमीम किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने तथा लगाान अलग से तय किये जाने तथा वादी के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करने तथा अविभाजित आराजी खसरा संख्या 5272 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि किये जाने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन वारते जवाव दावा तलव किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1/2, 1/4 से 1/7 व 5/1 बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाने पर अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 12.09.2012 को की गई। प्रतिवादी संख्या 02 को भी वावजूद सम्मनस तामिली/सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 12.02.2014 को की गई। वकील वादी की ईश्तदुआ पर दिनांक 10.11.2014 को प्रतिवादी संख्या 1/3 नारायणी देवी का नाम वाद पत्र से हटाया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 मय अधिवक्ता ने दिनांक 05.11.2014 को जवाव दावा मय मुजराई दावा/काउण्टर क्लेम पेश किया, जिसे सामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने जवाब प्रतिदावा दिनांक 16.09.2015 को पेश किया, सामिल मिसल किया गया। दिनांक 04.04.2016 को तनकियात कायम की गई। वकील वादी ने दिनांक 08.08.2016 को शहादत वादी pw-I सोहनलाल का तस्दीकसुदा शपथ–पत्र पेश किया, जिसकी प्रतिलिपि अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 को दिलाई गई। दिनांक 08.08.2016 से लगातार दिनांक 31.08.2016, 08.09.2016, 08.09.2016 तथा 14.09.2016 को अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी वादी द्वारा शहादत वादी पेश करने में विफल रहे है, जिससे अवसर समाप्त किया जाता है तथा शहादत वादी दिनांक 14.09.2016 को वन्द की गई। फलस्वरूप अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जिरह करवाया जाना भी सम्भव नही हो पाया। वस्तुतः शहादत वादी पेश करने में वकील वादी विफल रहने से कायम किये विवाद्यको का पृथक से विवेचन/विश्लेषण किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.09.2016 अन्तर्गत आदेश 06 निमय 17 सी0पी0सी0 का प्रार्थना–पत्र वाद विधिक सुनवाई स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया तथा कम्प्युटर की त्रुटि से वाद–पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित गलत रूप से खसरा संख्या 5285 व 5286 के स्थान पर वास्तविक व सही रूप से माफिक जमावंदी सम्वत् 2066–69 अनुसार 5286 व 5287 लाल स्याही से दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रतिवादी ने व्यक्त किया कि उक्त विवादित भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हक हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिससे पक्षकारानो में माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से , मौके पर कब्जे की स्थिति अनुसार वाई मिट्स एण्ड वाउण्डस वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की है, जिस पर वकील वादी ने भी सहमति व्यक्त की है तथा वकील वादी द्वारा शहादत वादी पेश करने में विफल रहने से शहादत वादी बंद की जा चुकी है। वस्तुतः उक्तानुसार माफिक राजस्व रेकर्ड वाद प्राथमिक

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

डिक्री किया जाना तथा पक्षकारानो को उनके हक हिस्से व मौके पर कब्जे की स्थिति अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर अर्थात खसरा, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग (खाता) करके विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार, सोजत को अधिकृत कर मंगवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.09.2016 तथा 06.12.2016 को संशोधित प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की गई कि सरहद मौजा–सोजत चक 1 में स्थित कृषि भूमि ख0 न0 5271, 5272, 5277, 5278, 5296, 5300, 5304, 5309, व 5311 कुल किता 9 रकबा 0.9100 हैक्टर तथा ख0 न0 5284, 5287, व 5321 कुल किता 4 रकबा 0.3800 हैक्टर किस्म चा0 1, जा0अ0, बंजड़ महेन्दी, गैर मुमकिन आवादी, रास्ता, बेरा व सड़ा की भूमि का वादी एवं वादीगण उभयपक्षकारानो में बंटवाड़ा माफिक राजस्व रेकर्ड, मौके पर स्थित कब्जे अनुसार (खाता तथा लगान अलग–अलग खसरा, रकबा, किस्म भूमि व लगान आदि) करवाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवावें। इस हेतु तहसीलदार सोजत को अधिकृत किया गया जिसे प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई गई। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/17/5892 दिनांक 30.06.2017 द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत हुआ जिस पर प्रस्तुत आपति प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने के अनेकानेक अवसर दिये गये। इसी दौरान प्रति सं0 2 मोहनलाल फौत हो जाने पर 2/1 से 2/4 का मु0 रेकर्ड पर लिये गये तथा तलब किया जाकर संशोधित टाईटल रेकर्ड पर लिया गया।

दिनांक 16.07.2018 को वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1/1 व 1/2 तथा प्रति0 स0 2/1 व 2/2 के प्रार्थना–पत्र मय तहरीरी राजीनामा पेश करने पर पत्रावली आज पेश हुई उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादी तथा प्रति0 सं0 1/1 व 1/2 तथा 2/1 व 2/2 ने राजीनामा पेश किया कि सोजत चक प्रथम में वर्तमान खाता संख्या 2005 तथा पुराना खाता सं0 1836 की खातेदारी कृषि भमि खसरा नं0 5271 रकबा 0.0600 है0 खसरा नं0 5272 रकबा 0.0500 है0, ख0नं0 5277 रकबा 0.0800 है0 ख0नं0 5278 रकबा 0.2100 है0, ख0नं0 5296 रकबा 0.2700 है0, ख0नं0 5300 रकबा 0.0700 है0, ख0नं0 5304 रकबा 0.0800 है0, ख0नं0 5309 रकबा 0.0300 है0, ख0नं0 5311 रकबा 0.0600 है0 कुल किता 09 रकबा 0.9100 हैक्टर कृषि भूमि के वर्तमान खातेदार रूपाराम, मदनलाल पुत्र पोकरराम, सोहनलाल पुत्र मिश्राराम, माणकचन्द, ताराचन्द पि0 मोहनलाल जातिगण माली निवासीगण सोजतसिटी सा0 देह खातेदार दर्ज सुदा है। वर्तमान खातेदार ने अपनी आपसी समझ समझाईश से राजीनामा कर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का नीचे माफिक अनुसार बंटवाड़ा कर लिया है: –

1. सोहनलाल पुत्र मिश्राराम, माणकचन्द, ताराचन्द पि0 मोहनलाल जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी सा0 देह खातेदार के हिस्से रही कृषि भूमि

खाता सं0	खाता नम्बर	रकबा	किस्म
2005	5271	0.0600	मेहन्दी
	5277	0.0800	मेहन्दी
	5278	0.2100	जा0अ0
	5309	0.0150	मेहन्दी
	5311	0.0600	बंजड
	05	0.4250	

2. रूपाराम पुत्र पोकरराम जाति माली निवासी सोजत सिटी सा0 देह खातेदार के हिस्से में रही कृषि भूमि :–

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

खाता सं0	खाता नम्बर	रकबा	किस्म
2005	5272	0.0250	मेहन्दी
	5296	0.1650	जा0अ0
	5304	0.0800	चा0प0
	03	0.2700	

3. मदनलाल पुत्र पोकरराम जाति माली निवासीगण सोजतसिटी सा0 देह खातेदार के हिस्से की कृषि भूमि :–

खाता सं0	खाता नम्बर	रकबा	किस्म
2005	5272 / 1	0.0250	मेहन्दी
	5296 / 1	0.1050	जा0अ0
	5300	0.0700	चा0प0
	03	0.2000	

4. सोहनलाल पुत्र मिश्राराम, माणकचन्द, ताराचंद पि0 मोहनलाल रूपाराम मदनलाल पि0 पोकरराम जातिगण माली सा0 देह:–

खाता सं0	खाता नम्बर	रकबा	किस्म
2005	5309 / 1	0.0150	मेहन्दी
	01	0.0150	

उपरोक्त राजीनामा अनुसार बंटवारा सभी खातेदार का मौके पर कब्जा काश्त आया हुआ स्थित है। इस बंटवारा से सभी खातेदार आपस मे सहमत है। जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नही है पोकरराम की पुत्रीयों द्वारा अपना हिस्सा पूर्व में रूपाराम एवं मदनलाल के पक्ष मे रजिस्टर्ड हक तर्क से अपना हिस्सा तर्क किया जा चुका है। संलग्न नजीर नक्शा राजीनामा के संलग्न है, जो इस राजीनामें का भाग है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी तथा प्रति0 सं0 1/1 व 1/2 तथा 2/1 व 2/2 क्रमशः रूपाराम, मदनलाल पि0 पोकरराम, सोहनलाल पुत्र मिश्राराम तथा माणकचन्द व ताराचन्द पि0 मोहनलाल, मोहनलाल की फौतूदगी व हकत के से दर्ज होकर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज है, सावित है। इस प्रकार उभय पक्षों ने राजीनामा पेश कर माफिक राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने की ईस्तदुआ की है तथा स्वीकारोक्ति उभयपक्षों ने की है। ख0 न0 5284, 5285, 5286 व 5321 कुल किता खसरा 4 रकबा 0.3800 हैक्टर से सम्बद्ध बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा की ईस्तदुआ नही चाही है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा मय रंगीन नक्शा तस्दीकसुदा पृथक से होकर सामिल पत्रावली है। चूंकि अब तादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा–सोजत चक 1 में स्थित कृषि भूमि ख0 न0 5271, 5272, 5277, 5278, 5296, 5300, 5304, 5309 व 5311 कुल किता 9 रकबा 0.9100 हैक्टर चा0 1 जा0अ0 बंजड़ व मेहंदी भूमि से सम्बद्ध अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। फलस्वरूप धारा 15 (1) में विहित व उचित होने से हस्तगत वाद माफिक राजीनामा डिक्री किया जाना तथा उक्त विवादित भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण मे बंटवाड़ा विभाजन किया जाना तथा विभाजित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है। अतः राजीनामा पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि माफिक राजीनामा अनुसार वाद डिकी किये जने के आदेश प्रदान करावे।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

–: आदेश :–

अतः माफिक राजीनामा एवं रंगीन नजरी नक्शा वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सं0 1/1 व 1/2 तथा 2/1 व 2/2 इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–सोजत चक 1 में स्थित ख0 न0 5271, 5272, 5277, 5278, 5296, 5300, 5304, 5309 व 5311 कुल किता 9 रकबा 0.9100 हैक्टर चा0 1 जा0अ0 बंजड़ व मेहंदी भूमि निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं। राजीनामा मय नजरी नक्शा रंगीन को इस निर्णय को एक भाग बनाया जाता हैं।

1. सोहनलाल पुत्र मिश्राराम, माणकचन्द, ताराचन्द पि0 मोहनलाल जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी सा0 देह खातेदार के हिस्से रही कृषि भूमि

खाता सं0	खाता नम्बर	रकबा	किस्म
2005	5271	0.0600	मेहन्दी
	5277	0.0800	मेहन्दी
	5278	0.2100	जा0अ0
	5309	0.0150	मेहन्दी
	5311	0.0600	बंजड़
	05	0.4250	

2. रूपाराम पुत्र पोकरराम जाति माली निवासी सोजत सिटी सा0 देह खातेदार के हिस्से में रही कृषि भूमि :–

खाता सं0	खाता नम्बर	रकबा	किस्म
2005	5272	0.0250	मेहन्दी
	5296	0.1650	जा0अ0
	5304	0.0800	चा0प्र0
	03	0.2700	

3. मदनलाल पुत्र पोकरराम जाति माली निवासीगण सोजतसिटी सा0 देह खातेदार के हिस्से की कृषि भूमि :–

खाता सं0	खाता नम्बर	रकबा	किस्म
2005	5272/1	0.0250	मेहन्दी
	5296/1	0.1050	जा0अ0
	5300	0.0700	चा0प्र0
	03	0.2000	

4. सोहनलाल पुत्र मिश्राराम, माणकचन्द, ताराचंद पि0 मोहनलाल रूपाराम मदनलाल पि0 पोकरराम जातिगण माली सा0 देहः–

खाता सं0	खाता नम्बर	रकबा	किस्म
2005	5309/1	0.0150	मेहन्दी
	01	0.0150	

उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय एवं डिक्री पर्चा विभाजन प्रस्ताव

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

मय रंगीन नक्शा की प्रतिलिपि भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य लेख भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज
(जिला–पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आ020 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

बइजलाश श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

वादीया — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

सोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)

बनाम

1. मृतक पोकरराम पुत्र हरजी के कायम मुकाम:-

1/1 रूपाराम

1/2 मदनलाल पी0 पोकरराम जाति माली निवासी बेरा कानावा सोजतसिटी।

1/3 नारायणदेवी पुत्री पोकरराम पत्नि जीताजी निवासी बेरा अवकाई सोजत हाल सुरसागर जोधपुर

1/4 ढगलाई पुत्री पोकरराम पत्नि स्व0 राजाराम निवासी बेरा गोरवा, जैतारणिया गेट के बाहर, सोजतसिटी।

1/5 सुखीदेवी पुत्री पोकरराम पत्नि हनुमान निवासी बेरा गोरवा, जैतारणिया गेट के बाहर, सोजतसिटी।

1/6 जेठी देवी पुत्री पोकरराम पत्नि ढगलाराम निवासी बेरा गोरवा, जैतारणिया गेट के बाहर, सोजतसिटी।

1/7 रतनाई देवी पुत्री पोकरराम पत्नि रामचन्द निवासी मोतीचंद सेठीया आदर्श विधा मन्दिर स्कूल के पास, सोजतसिटी।

2. मृतक मोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजतसिटी के का0मु0:-

2/1 माणकचंद पुत्र मोहनलाल

2/2 ताराचंद पुत्र मोहनलाल

2/3 मैनादेवी पुत्री मोहनलाल

2/4 रतनाई देवी पत्नि मोहनलाल तमाम जातियान-माली,निवासीगण-सोजतसिटी तहसील सोजत।

3 मृतक किस्तूरराम पुत्र धूलाराम के का0मु0:-

3/1 मोहनलाल

3/2 खींवराज पि0 किस्तूरराम जाति माली निवासीगण सोजतसिटी तहसील सोजत।

4 मृतक पुखाराम पुत्र धूलाराम के का0मु0 :-

4/1 भंवरलाल

4/2 सोहनलाल पि0 पुखाराम जातिगण माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

जिला पाली राज0।

5. मृतक नेनाराम पुत्र मगनाराम के का0मु0 :–

5/1. भोलाराम पुत्र नेनाराम जाति माली निवासी बेरा कानावा, सोजतसिटी।

6. जसाराम

7. घीसाराम पी0 बोहरराम जातिगण माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0।

8. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक्ट 1955

राजस्व मूल वाद संख्या :–76/2012

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री गजेन्द्र दवे एवं श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्तागण मय वादी स्वय तथा श्री सोहनलाल गौराणा एवं श्री भगवती प्रसाद चौहान अधिवक्तागण मय प्रतिवादीगण सं0 1/1, 1/2, 2/1 व 2/2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा एवं रंगीन नजरी नक्शा वाद डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1/1 व 1/2 तथा 2/1 व 2/2 इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–सोजत चक 1 में स्थित ख0 न0 5271, 5272, 5277, 5278, 5296, 5300, 5304, 5309 व 5311 कुल किता 9 रकबा 0.9100 हैक्टर चा0 1 जा0अ0 बंजड व मेहंदी भूमि निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं। राजीनामा मय नजरी नक्शा रंगीन को इस निर्णय को एक भाग बनाया जाता हैं।

1. सोहनलाल पुत्र मिश्राराम, माणकचन्द, ताराचन्द पि0 मोहनलाल जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी सा0 देह खातेदार के हिस्से रही कृषि भूमि

खाता सं0	खाता नम्बर	रकबा	किस्म
2005	5271	0.0600	मेहन्दी
	5277	0.0800	मेहन्दी
	5278	0.2100	जा0अ0
	5309	0.0150	मेहन्दी
	5311	0.0600	बंजड
	05	0.4250	

2. रूपाराम पुत्र पोकरराम जाति माली निवासी सोजत सिटी सा0 देह खातेदार के हिस्से में रही कृषि भूमि :–

खाता सं0	खाता नम्बर	रकबा	किस्म
2005	5272	0.0250	मेहन्दी
	5296	0.1650	जा0अ0
	5304	0.0800	चा0प्र0
	03	0.2700	

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (...) राज

3. मदनलाल पुत्र पोकरराम जाति माली निवासीगण सोजतसिटी सा0 देह खातेदार के हिस्से की कृषि भूमि :–

खाता सं0	खाता नम्बर	रकबा	किस्म
2005	5272 / 1	0.0250	मेहन्दी
	5296 / 1	0.1050	जा0आ0
	5300	0.0700	चा0पी0
	03	0.2000	

4. सोहनलाल पुत्र मिश्राराम, माणकचन्द, ताराचंद पि0 मोहनलाल रूपाराम मदनलाल पि0 पोकरराम जातिगण माली सा0 देह:–

खाता सं0	खाता नम्बर	रकबा	किस्म
2005	5309 / 1	0.0150	मेहन्दी
	01	0.0150	

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद / तरमीम किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय एवं डिक्री पर्चा विभाजन प्रस्ताव मय रंगीन नक्शा की प्रतिलिपि भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य लेख भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग– बाबत ---

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16.07.2018 को सरे इजलास जारी की गई।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत
जिला–पाली

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य
			मीजान	शून्य	शून्य
मीजान	शून्य	शून्य			

Scanned by CamScanner